

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक/पटना, दिनांक

06/पणन (सं.)-43/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
वीरचन्द पटेल मार्ग, बिहार पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48200 (अड़तालीस हजार दो सौ) मे0टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे0टन, 500 (पाँच सौ) मे0टन एवं 1000 (एक हजार) मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रु0 34,95,27,730/- (चौतीस करोड़ पंचानवे लाख सत्ताईस हजार सात सौ तीस) मात्र के योजना की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य में विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में पैक्सों एवं व्यापारमंडलों की बढ़ती भूमिका यथा धान/गेहूँ अधिप्राप्ति, जन वितरण संबंधी कार्य एवं कृषि में प्रयोग होने वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पैक्स/व्यापारमंडल सहकारी समितियों की आधारभूत संरचनाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि रोडमैप अन्तर्गत वर्ष 2023-28 में भूमि की उपलब्धता के आधार पर 200 (दो सौ), 500 (पाँच सौ) या 1000 (एक हजार) मे.टन क्षमता के गोदाम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कृषि रोड मैप 2023-28 के लिए अनुमानित लक्ष्य के मद्देनजर पैक्सों/व्यापारमंडलों में भंडारण क्षमता में 10 (दस) लाख मे.टन अभिवृद्धि किया जाना है, जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक कुल 7.827 लाख मे० टन के गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48200 (अड़तालीस हजार दो सौ) मे0टन भंडारण क्षमता के सृजन हेतु पैक्सों/व्यापारमंडलों में 200 मे0टन, 500 मे0टन या 1000 मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए परिशिष्ट-01 में अंकित समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रु0 34,95,27,730/- (चौतीस करोड़ पंचानवे लाख सत्ताईस हजार सात सौ तीस) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत निम्नरूपेण विकलनीय होगी:-

क्र० स०	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मांग संख्या-09 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उपशीर्ष-0114 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425001080114	27,95,27,730 /-
2	मांग संख्या-09 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425007890102	7,00,00,000 /-
	कुल	34,95,27,730 /-

3. इस राशि का आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जायेगा तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उक्त राशि का उप आवंटन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया जायेगा, जो इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि.) दिनांक-17.04.98 एवं परिपत्र संख्या-7355 (वि.) दिनांक-05.10.07 के आलोक में उपलब्ध आवंटनानुसार स्वीकृत राशि का विपत्र **BTC Form 42** में तैयार कर चयनित समितियों की सूची के साथ संबंधित जिला के कोषागार में प्रस्तुत करेंगे तथा आवंटित राशि को बैंक ड्राफ्ट/खाता अन्तरण (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से संबंधित समितियों के लिए संधारित विशेष बचत खाता में समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में राशि हस्तांतरित करेंगे। इसके लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. राज्य योजना द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी की वापसी योजना वर्ष के अगले वर्ष से 20 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 वर्ष में की जायेगी। उक्त राशि की वापसी से बिहार राज्य सहकारी बैंक में एक **Revolving Fund** का सृजन तथा संधारण किया जायेगा। चक्रीय पूँजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा, जिसमें दी गई चक्रीय पूँजी का ब्योरा, किस्त वापसी की राशि एवं तिथि के साथ-साथ समितियों द्वारा राशि वापसी का भी ब्योरा होगा। बैंक के स्तर से राशि वापसी का पूरा ब्योरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राशि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

5. गोदाम निर्माण पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि पर किया जायेगा। व्यापारमंडलों में निर्माण कार्य हेतु भूमि संबंधित प्रखण्ड कार्यालय परिसर स्थित व्यापारमंडल हेतु कर्णांकित भूमि पर होगा। जिन प्रखण्डों में व्यापारमंडल के लिए भूमि कर्णांकित नहीं है, वहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु सक्षम प्राधिकार से अधिवाचना की जायेगी। भूमि की व्यवस्था के संबंध में विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

6. पैक्सों एवं व्यापारमंडलों का चयन विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया गया है। सूची में अंकित समितियों द्वारा गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। जिला स्तर पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने का दायित्व इस समिति पर होगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा। गोदाम निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्वयं किया जायेगा।

7. परियोजना का मॉडल नक्शा तथा प्राक्कलन बिहार राज्य भंडार निगम से तैयार कराते हुए भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है जो लाभान्वित समितियों तथा संबंधित जिला के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु स्थानीय मानकों के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत अभियंता के स्तर पर प्रति इकाई लागत की अधिसीमा अन्तर्गत **Structutral Design** तथा प्राक्कलन जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में क्रियान्वयन/तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत असैनिक अभियंता द्वारा किया जायेगा।

8. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9. गोदाम निर्माण के संबंध में विभागीय पत्रांक-788 दिनांक-25.02.2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि. दिनांक- 01.04.2026 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

12. राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-19.08.2026 में मद संख्या-11 के रूप में उक्त योजना की स्वीकृति दी गयी है।

13. इस योजना के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-4734 दिनांक-20.08.2026 में निर्धारित शर्त एवं दिशा-निर्देश लागू होंगे।

14. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा सहमति संचिका संख्या-06/पणन (सं.)-43/2025 के पृ0 सं0-64/टि. पर दिनांक-27.08.2026 को दी गई है।

15. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहमति संचिका संख्या-06/पणन (सं.)-43/2025 के पृ0 सं0-64/टि. पर दिनांक-27.08.2026 को दी गई है।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....304...../पटना, दिनांक...28/08/26.....

06/पणन (सं.)-43/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- ई-मेल**
1. सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को मुहरबन्द लिफाफे के साथ।
 2. सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना।
 3. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
 4. वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/माननीय मंत्री सहकारिता विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/कार्यवाह सहायक को 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट-01

चयनित समितियों की सूची निम्नवत् है:-

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	पैक्स/व्यापार मंडल का नाम	क्षमता (मे.टन)	राशि	अभियुक्ति
1	रोहतास	नासरीगंज	अमियावर	1000	72,67,954 / -	
2	अरवल	कलेर	पहलेजा	1000	72,67,954 / -	
3	भोजपुर	सहार	गुलजारपुर	1000	72,67,954 / -	
4	नवादा	नवादा सदर	समाय	1000	72,67,954 / -	
5	मधेपुरा	शंकरपुर	सोनवर्षा	1000	72,67,954 / -	
6	बांका	कटोरिया	बसमता	1000	72,67,954 / -	
7	सारण	एकमा	फुचटिकला	1000	72,67,954 / -	
8	लखीसराय	चानन	भलुई	1000	72,67,954 / -	
9	पश्चिमी चम्पारण	बगहा-1	नड़डा	1000	72,67,954 / -	
10	शिवहर	तरियानी	विशम्भरपुर	1000	72,67,954 / -	
11	शेखपुरा	बरबिगहा	सर्वा	1000	72,67,954 / -	
12	सीतामढ़ी	रुन्नीसैदपुर	गुरुदह उर्फ गौसनगर	1000	72,67,954 / -	
13	औरंगाबाद	रफीगंज	बलौर	1000	72,67,954 / -	
14	किशनगंज	बहादुरगंज	देसिया टोली	1000	72,67,954 / -	
15	समस्तीपुर	सिंधिया	माहे	1000	72,67,954 / -	
16	कटिहार	कोढा	फुलवरिया	1000	72,67,954 / -	
17	मुजफ्फरपुर	पारु	चक्की सोहागपुर	1000	72,67,954 / -	
18	वैशाली	जन्दाहा	बहसी सैदपुर	1000	72,67,954 / -	
19	पूर्णिया	बी0 कोठी	सुखसेन पश्चिम	1000	72,67,954 / -	
20	सिवान	बडहडिया	रसुलपुर	1000	72,67,954 / -	
21	मधुबनी	फुलपरास	महिन्द्रवार	500	34,59,500 / -	
22	पूर्वी चम्पारण	घोड़ासहन	कवैया	500	34,59,500 / -	
23	गोपालगंज	कटैया	पडडिया	1000	72,67,954 / -	
24	दरभंगा	सिंहवारा	निस्ता	1000	72,67,954 / -	
25	सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	चकभारो	1000	72,67,954 / -	
26	खगडिया	खगडिया	संसारपुर	1000	72,67,954 / -	
27	बक्सर	डुमराँव	अटाँव	500	34,59,500 / -	

29	नालंदा	सिलाव	बडगाँव	1000	72,67,954 / -	
30	गयाजी	बोधगया	नगर पंचायत बोधगया	1000	72,67,954 / -	
31	कैमूर	नुआँव	कोटा	1000	72,67,954 / -	
32	पटना	दुल्हिनबाजार	काब	1000	72,67,954 / -	
33	भागलपुर	शाहकुंड	दरियापुर	1000	72,67,954 / -	
34	जमुई	चकाई	माधोपुर	1000	72,67,954 / -	
35	अररिया	नरपतगंज	खौपदह	1000	72,67,954 / -	
36	बेगूसराय	बखरी	घाघड़ा	1000	72,67,954 / -	
37	भागलपुर	शाहकुंड	दासपुर	200	17,12,800 / -	
38	मधुबनी	लदनिया	एकहरी	1000	72,67,954 / -	
39	बक्सर	इटादी	हकीमपुर	500	34,59,500 / -	
40	पश्चिमी चम्पारण	सिकटा	परसौनी	1000	72,67,954 / -	
41	शेखपुरा	बरबीघा	सामसबुजुर्ग	1000	72,67,954 / -	
42	अरवल	कलेर	कामता	500	34,59,500 / -	
43	गोपालगंज	कुचायकोट	उचकागाँव	1000	72,67,954 / -	
44	समस्तीपुर	समस्तीपुर	रूपनारायणपुर बेला	1000	72,67,954 / -	
45	सिवान	पंचरुखी	शम्भोपुर	1000	72,67,954 / -	
46	पटना	पालीगंज	सरसी पिपरदाहा	1000	72,67,954 / -	
47	वैशाली	जन्दाहा	पीरापुर	1000	72,67,954 / -	
48	नालंदा	बेन	अकौना	1000	72,67,954 / -	
49	रोहतास	काराकाट	बाराडीह	1000	72,67,954 / -	
50	जहानाबाद	घोषी	गोलकपुर	500	34,59,500 / -	
51	गोपालगंज	विजयीपुर	भरपुरवा	1000	72,67,954 / -	
52	वैशाली	महनार	करनौती	1000	72,67,954 / -	
कुल:-				48200	34,95,27,730 / -	